न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 289 / 2015

अनवान : –

1. महावीर (फौत)

   1/1 सुन्दरदेवी पत्नी महावीर जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।

   1/2 सुमन
   1/3 पुष्पा
   1/4 विनोद कुमार
   1/5 संदीप कुमार
   } पि0 महावीर जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।

2. किशोरीलाल पुत्र पुर्णराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. प्रेम कुमार 2 जगदीश 3 मदनलाल 4 ओम प्रकाश 5 राजाराम पि0 कुम्भाराम जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर।
6. मोमनराम 7. नत्थुराम पि0 पनाराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
2. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 05/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 23 एनटीआर तहसील नोहर में प० नं० 337 / 427 (16) किला नं० 5, 6, 15, 16, 25 की 4.10 बीघा प० नं० 338 / 427 (17) किला नं० 1, 4 ता 25 की 22.14 बीघा प० नं० 339 / 427 (24) किला नं० 1, 10, 11, 19 ता 22 की 6.18 बीघा प० नं० 339 / 428 (25) किला नं0 1 व 2 की 2 बीघा प0 नं0 338 / 428 (26) किला नं0 1 ता 10 की 10 बीघा प0 नं0 337 / 428 किला नं0 5–6 की 1.16 बीघा कुल 49 बीघा कृषि भूमि थी जिसमें कुम्भाराम वल्द लेखराम का 1 / 3 हिस्सा मोमनराम, नत्थुराम पि0 पनाराम का 1 / 3 हिस्सा, महावीर, किशोरीलाल पि0 पूर्णराम का 1 / 3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे। वादीगण सीधे मन के भोले भाले व्यक्ति है लेकिन प्रतिवादीगण के पिता तेज तर्रार व्यक्ति था उन्होने वादीगण के सीधे मन का व भोलेपन का नाजायज फायदा उठाकर बिना किसी समक्ष अदालत के आदेश के पटवारी हल्का से मिली भगत करके विधि विरूध तरीके से उक्त भूमि को अलग–2 दर्ज करवा लिया जिसमें वादीगण की सहमति नहीं गई तथा उन्होने अपनी मर्जी से ह[illegible] 17 बीघा भूमि अपने नाम करवा ली जबकि उनके हिस्से में 16 बीघा 6–[illegible] गलत तरीके से फर्जी तौर पर पटवारी हल्का से मिलीभगत करके अपने नाम कर[illegible] ली जो वादीगण के [illegible] के खिलाफ है जिसे दुरूस्त करवाकर कुम्भाराम के खाते में से 1 बीघा भूमि में से वादीगण को 1/3 हिस्सा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 12:59:41 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे यही विनाय दावा है। प्रतिवादीगण ने वादीगण को धोखे में रखकर तथा उबड खाबड भूमि वादी के नाम करवाई जिसमें वादी ने काफी रूपया पैसा लगाकर समतल उपजाऊ बनाया तथा खुद अपने पास समस्त अच्छी किस्म की भूमि रख ली तथा धोखे में रखकर हम से ज्यादा 1 बीघा भूमि अकेले के नाम करवा ली। जब बंटवारा मुताबिक हक हिस्सा होना चाहिये था इसलिए जमाबन्दी दुरूस्त की जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज खाते में से वादीगण के नाम 6–1/2 बिस्वा तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 के नाम 6–1/2 बिस्वा दर्ज की जावे।

वादी ने प्रतिवादीगण को काफी मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन आजकल करते रहे आखिर इन्कार हो गये इसिलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

दावा पेश होने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर में प०न० 337 / 427 के मु०न० (16) के किला न० 5,6,15,16, 25 की 4 बीघा 10 बिस्वा, प०न० 338 / 427 के मु०न० 17 के किला न० 1, 4 ता 25 की 22.14 बीघा प०न० 339 / 427 के मु०न० 24 के किला न० 1, 10,11, 19 ता 22 की 6 बीघा 18 बिस्वा प०न० 339 / 428 के मु०न०, 25 के किला न० 1 ता 2 की 2 बीघा प०न० 338 / 428 के मु०न० 26 के किला न० 1 ता 10 की 10 बीघा, प०न० 337 / 428 के किला न० 5–6 की 1 बीघा 16 बिस्वा कुल 49 बीघा कृषि भूमि स्थित है जिसमें कुम्भाराम पुत्र लेखराम का 1 / 3 हिस्सा, मोमनराम , नत्थुराम पि० पनाराम का 1 / 3 हिस्सा , महावीर , किशोरीलाल पि० पूर्णाराम का 1 / 3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज होना स्वीकार है। वादीगण एवं उत्तरदातागण स० 1 ता 5 के पिता कुम्भाराम व प्रतिवादीगण स० 6 ता 7 ने रोही मौजा चक न० 23 एनटीआर तहसील नोहर की 49 बीघा कृषि भूमि मुताबिक सहमति खातेदारान ने कब्जा काश्त के अनुसार वादग्रस्त भूमि का विभाजन कैम्प नोहर में तहसीलदार राजस्व नोहर के समक्ष करवा लिया एवं मुताबिक विभाजन के अनुसार वादीगण के हिस्से में रोही मौजा चक न० 23 एनटीआर तहसील नोहर के प०न० 338 / 427 के किला न० 7–8 की 2 बीघा, 13–14 की 2 बीघा, 17–19 की 3 बीघा, किला न० 22 ता 24 की 3 बीघा, प०न० 338 / 428 के किला न० 2,3,4, 7,8,9 की 6 बीघा कुल 16 बीघा भूमि हिस्से में आई एवं उत्तरदातागण स० 1 ता 5 के पिता कुम्भाराम के हिस्से में प०न० 338 / 427 के किला न० 4 की 18 बिस्वा, 5 की 18 बिस्वा, 6,15,16,25 की 4 बीघा प०न० 338 / 428 के किला न० 5–6 की 2 बीघा प०न० 339 / 427 के किला न० 1 की 18 बिस्वा, 10–11 की 2 बीघा 19 ता 22 की 4 बीघा प0न0 339 / 428 के किला न0 1–2 की 2 बीघा कुल 17 बीघा भूमि हिस्से में आई एवं प्रतिवादीगण स0 6 ता 7 के हिस्से में रोही मौजा चक न0 23 एनटीआर तहसील नोहर के प0न0 338 / 427 के मुन0 (..........) के किला न0 5–6–15, 16 व 25 की 4 बीघा 10 बिस्वा प0न0 338 / 427 के मु0न0 (..........) के किला न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 12:59:41 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

1 –10 की 2 बीघा प0न0 337 / 428 के किला न0 5 / 0 की 18 बिस्वा 6 की 18 बिस्वा प0न0 338 / 427 के किला न0 1 की 18 बिस्वा 9 ता 12 की 4 बीघा किला न0 20 व 21 की 2 बीघा कुल 15 बीघा 4 बिस्वा 16 बिस्वा रास्ता कुल तादादी 16 बीघा भूमि हिस्से में आई एवं माननीय न्यायालय तहसीलदार राजस्व के समक्ष विभाजन होने के बाद पटवारी हल्का द्वारा वाद भूमि अलग–अलग दर्ज कर दी गई इसी अनुसार वाद भूमि वादीगण एवं उत्तरदातागण नाम दर्ज हो गई। एवं मुताबिक विभाजन के अनुसार वादीगण एवं उत्तरदातागण अलग–अलग काश्त करते आ रहे है एवं उत्तरदातागण द्वारा सक्षम अदालत के द्वारा सहमति से हक अलग–अलग दर्ज करवाई गई है। एवं न कि पटवारी हल्का द्वारा मिली भगत से करवाई गई वं वादीगण किसी कदर 1 बीघा कृषि भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी नही है। वाद वादीगण काबिल खारीज योग्य है। उत्तरदातागण व वादीगण द्वारा सहमति से वादग्रस्त कृषि भूमि का खाता व लगान अलग–अलग करवाया गया है न कि धोखे में रखकर एवं सहमति से कृषि भूमि अलग–अलग दर्ज करवाई गई है एवं वादग्रस्त भूमि का मुताबिक सहमति व कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन कैम्प नोहर में करवाया गया था। एवं उपरोक्त विभाजन हुए करीबन 34 वर्ष हो चुके है एवं विभाजन होने के उपरान्त वादीगण द्वारा कृषि भूमि बैंक से रहन रखी गई है। एवं वादीगण किसी प्रकार से दुरूस्त करवापाने के अधिकारी नही है एवं वाद वादीगण काबिल खारीज योग्य है। त्तरदातागण द्वारा वादीगण की सहमति से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 (1) के अनुसार माननीय तहसीलदार राजस्व नोहर के सक्षम विभाजन करवाया गया है एवं जिसके वादीगण व उत्तरदातागण की सहमति से विभाजन करवाया गया है तथा वादीगण व उत्तरदातागण के बयान होने व सहमति के उपरान्त माननीय तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा कैम्प नोहर में विभाजन करवाया गया है। एवं वादीगण करीबन 34 वर्ष से उपरोक्त विभाजन से सहमति देते आ रहे है तथा वादीगण ने विभाजन होने उपरान्त अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को रहन करवा रखा है। तथा वादीगण के विभाजन का अच्छी तरह से ज्ञान था एवं वादीगण की सहमति से विभाजन करवाया गया है एवं उत्तरदाता ने कभी भी वादीगण को गुमराह नही किया है वादीगण पढा लिखा व्यक्ति है। तथा विभाजन की सहमति पर हस्ताक्षर किये हुए है। एवं विभाजन वादीगण एवं उत्तरदातागण के सहमति के आधार पर हुआ है। वाद वादी इस्टोपल है। रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर की वादग्रस्त कृषि भूमि का वादीगण एवं उतरदातागण ने वरवक्त राजस्व अभियान कैम्प नोहर के मजमाएं आम में उपस्थित होकर तहसीलदार राजस्व नोहर के सक्षम दिनांक 24.1. 1983 की मुताबिक सहमति व कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन स्वीकृत करवा लिया था एवं मुताबिक विभाजन के अनुसार मोमनराम,नत्थुराम पि० पन्नाराम जाति माली के पास रोही मौजा चक 23 एनटीआर के प०न० 337 / 427 के किला न० 5,6,15,16,25 की 4 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि प०न० 338 / 428 के किला न० 1–10 की 2 बीघा प०न० 337 / 428 के किला न० 5 की 18 बिस्वा 6 की 18 बिस्वा प०न० 338 / 427 के किला न० 1 की 18 बिस्वा, 9 ता 12 की 4 बीघा किला न० 20 व 21 की 2 बीघा कुल 15 बीघा 4 बिस्वा, रास्ता 16 बिस्वा कुल 16 बीघा भूमि हिस्से में आई वादीगण महावीर, किशोरीलाल पि० पूर्णराम जाति माली के हिस्से में आई एव चक न० 23 एनटीआर के प०न० प०न० 338 /

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 12:59:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

427 के किला न० 7–8 की 2 बीघा, 13–14 की 2 बीघा, 17–19 की 3 बीघा, किला न० 22 ता 24 की 3 बीघा, प०न० 338 / 428 के किला न० 2,3,4, 7,8,9 की 6 बीघा कुल 16 बीघा भूमि हिस्से में आई एवं कुम्भाराम पुत्र लेखराम जाति माली साकिन नोहर के पास प०न० 338 / 427 के किला न० 4 की 18 बिस्वा, 5 की 18 बिस्वा, 6,15,16,25 की 4 बीघा प०न० 338 / 428 के किला न० 5–6 की 2 बीघा प०न० 339 / 427 के किला न० 1 की 18 बिस्वा, 10–11 की 2 बीघा 19 ता 22 की 4 बीघा, प०न० 339 / 428 के किला न० 1–2 की 2 बीघा कुल 17 बीघा भूमि हिस्से में आई। विभाजन के उपरान्त मुताबिक आदेश के अनुसार पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण स0 102 दर्ज कर दिया एवं वादग्रस्त भूमि का विभाजन राजस्थान काश्तकारी अधि नियम सन् 1955 की धारा 53(1) के अनुसार सहमति के आधार पर सक्षम अदालत द्वारा दिया था एवं वादीगण एवं उत्तरदातागण के बयान होने के उपरान्त एवं सहमति के आधार पर विभाजन किया गया था। एवं उपरोक्त विभाजन हुए 34 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है एवं वादीगण सहमति के आंधार पर विभाजन को स्वीकार करते आये है।भूमि का विभाजन होने के उपरान्त वादग्रस्त भूमि अलग–अलग से दर्ज हो गई एवं उत्तरदातागण स० 1 ता 5 ने माननीय उपखण्डाधिकारी राजस्व नोहर के समक्ष राजस्व वाद स० 117 सन् 2011 बअनवानी प्रेमकुमार आदि बनाम मदनलाल आदि ने रोही मौजा चक न० 23 एनटीआर तहसील नोहर की भूमि का विभाजन करवा लिया एवं बाद निर्णय के आधार पर उपरान्त उत्तरदाता स० 2 के पास प०न० 338/427 के मु०न० 17 के किला न० 16,25 की व प०न० 339 / 427 के मु०न० 18 के किला न० 11,19,20,21,22 व प०न० 339 / 428 के मु०न० 25 के किला न० 1,2 व प०न० 338/428 के मु०न० 26 के किला न० 5,6 व प०न० 95/26 के किला न० 3 की 0.0260 हैक्ट खाला व प०न० मु०न० 99/3 के किला न० 0.0760 हैक्ट, गै०मु० रास्ता की कुल 3.5170 हैक्टयर भूमि हिस्से में आई एवं उत्तरदाता स० 4 के पास प०न० 338 / 427 के मु०न० 17 के किला न० 4,5,6,16 व प०न० 339 / 427 के मु०न० 18 के किला न० 1 ,10 की भूमि हिस्से में आई इसी अनुसार उत्तरदातागण के नाम वादग्रस्त भूमि दर्ज हो चुकी है। एवं वादीगण द्वारा दावा अस्पष्ट कथनो के आधार पर प्रस्तुत किया है जे कि काबिल खारीज योग्य है। वादीगण द्वारा करीब 34 वर्ष बाद यह वाद पेश किया गया है। अत जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद खारिज फरमावे।

प्रस्तुत वाद एवं जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीआत कायम की गईः–

1. आया की घोषणा की करवाने का अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 25/23 की कुल 11.1330हैव भूमि में हक से ज्यादा विधि विरूद्ध तरीके करवाई गई है वादीगण का वाद भूमि में 6–1/2 बिश्वा के खातेदार काश्तकार है जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाने के अधिकारी है ।

   – वादी

2. आया कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य [illegible] सक्षम न्यायालय में बटवारा नही हुआ है इसलिये जमाबन्दी दुरूस्त [illegible] की 6–1/2 बिस्वा भूमि को अपने नाम से दर्ज करवा पाने के [illegible]

   – वादी

3. आया कि वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने के अधिकारी है कि वह वाद भूमि को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 12:59:41 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

–वादी

4. आया कि वाद भूमि के सम्बन्ध में आज से लगभग 34 साल पहले राजस्व अभियान में वादी व प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर खाता विभाजन करवाया गया था पुन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर से भी खाता विभाजन करवाया गया है उसी के आधार पर वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वादी का वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही है ?

–प्रतिवादी

5. आया प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है बिना किसी ठोस आधार के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है?

–प्रतिवादी

6. दादरसी

साक्ष्य वादी मे किशोरीलाल पुत्र पूर्णराम ने अपने बयान लेखबद्ध करवाये एवं वादीगण ने तनकीआत के समर्थन में प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत 2068–71 खाता स0 25/23 ईएक्सपी–1, प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत 2068–71 खाता स0 90/84 चक 28 एनटीआई ईएक्सपी–2, नकल जमाबंदी रोही मौजा 23 एनटीआर खताा स0 7 सम्वत 2035 ईएक्सपी–3 प्रदर्शित करवाये।

साक्ष्य प्रतिवादी में मदनलाल पुत्र कुम्भाराम ने अपने बयान लेखबद्ध करवाये एवं प्रतिवादीगण ने तनकीआत के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रा0पत्र बाबत बंटवारनामा ईएक्सडी–1, फर्द तजबीज बंटवारानामा चक 23 एनटीआर ईएक्सडी–2, बंटवारानामा बाबत नजरी नक्शा ईएक्सडी–3, नजरीनक्शा बाबत बंटवारानामा ईएक्सडी–4, नामान्तरण स0 102 रोही मौजा 23 एनटीआर स्वीकृति आदेश 14.06.1983 ईएक्सडी–5, जमाबंदी रोही मौजा 23 एनटीआर ईएक्सडी–6, जमाबदी 23 एनटीआर खाता स0 98/101 ईएक्सडी–7, जमाबंदी 23 एनटीआर खाता स0 43/25 ईएक्सडी–8, जमाबंदी चक 23 एनटीआर जमाबंदी ईएक्सडी–9, जमाबंदी 23 एनटीआर खाता स0 28 ईएक्सडी–10 प्रदशिर्त करवाये एवं प्रमाणित प्रति निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2011 बअदालत एसडीओ कोर्ट नोहर पेश किये।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने तर्क की पुष्टि में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत आरआरटी सीसीसी 2025(3) पेज न0 603, आरआरटी 2010(1) पेज न0 600, आरआरटी 2015(1) पेज न0 278, आरआरसी 1999 पेज न0 74, आरबीजे 2010 पेज न0 272 पेश किये, जिनका हमने अध्ययन कर इन्हें मार्गदर्शी सिद्वान्त के रूप में उपयोग किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:–

<u>तनकी नम्बर 1, 2 व 4</u> :– उक्त तीनो तनकी एक दुसरे पर आधारित है। तनकी न0 1 व 2 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर एवं तनकी न0 4 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। अपनी मर्जी से हमसे ज्यादा 17 बीघा भूमि अपने नाम करवा ली जबकि उनके हिस्से में 16 बीघा 6–1/2 बिस्वा भूमि ही आती थी गलत तरीके [illegible] तौर पर पटवारी हल्का से मिलीभगत करके अपने नाम करवा ली जो वादीगण के [illegible] है जिसे दुरूस्त करवाकर कुम्भाराम के खाते में से 1 बीघा भूमि मे से वादीगण को 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे लेकिन प्रतिवादीगण का कथन है कि उक्त वाद भूमि का हमने सहमति से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 12:59:41 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तहसीलदार नोहर के समक्ष पेश होकर विभाजन करवाया था जिसमें वादीगण के पिता द्वारा सहमति दी गई थी उक्त सहमति के आधार पर मुताबिक बंटवारा दर्ज हो गयी एवं इसके बाद उपखण्ड न्यायालय नोहर द्वारा भी दिनांक 30.06.2011 को खाता व लगान अलग करवाया गया। वादीगण द्वारा इतने साले बाद यह वाद पेश किया गया है जो की मैनटेबल नही है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 1 ता 10 के अवलोकन के मुताबिक उक्त भूमि का सहमति से तहसीलदार के खाता व लगान अलग करवाया गया है जिसमें वादीगण के पिता भी बतौर पक्षकार संयोजित है एवं उक्त विभाजन के पश्चात कुम्भाराम के वारिसान द्वारा भी दिनांक 30.06.2011 को प्रकरण स0 117/2011 बअनवानी प्रेमकुमार आदि बनाम मदनलाल आदि को डिक्री किया जा चुका है। तहसीलदार नोहर द्वारा जो विभाजन किया गया है वह सहमति से किया गया है उसमें वादीगण के पिता द्वारा सहमति पेश की गई है। वादीगण के पिता द्वारा उक्त विभाजन बाबत कभी भी कोई उज्र व ऐतराज किया गया हो ऐसा कोई दस्तावेज वादीगण द्वारा पेश नही किया गया है एवं वादीगण द्वारा इतने वर्षो बाद उज्र व ऐतराज किया गया है जो की संदेहास्पद है एवं वादीगण के पिता द्वारा उक्त विभाजन सहमति से किया गया था इसलिए वादीगण मुताबिक अनुतोष घोषणा करवा पाने के अधिकारी नही है। अत तनकी न0 1, 2 व 4 को वादीगण साबित करने में असफल रहे है इसलिए उक्त तीनों तनकी को खिलाफ वादीगण बहक प्रतिवादीगण निर्णित किया जाता है।

तनकी नम्बर 3 व 5 :– उक्त तनकीया, तनकी न0 1, 2 व 4 पर आधारित है। तनकी न0 1, 2 व 4 का विस्तृत निर्णय किया जा चुका है एवं तनकी न0 1, 2 व 4 खिलाफ वादीगण बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जा चुकी है इसलिए वादीगण, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने के अधिकारी नही है। इसलिए उक्त दोनो तनकीओं को खिलाफ वादीगण बहक प्रतिवादीगण निर्णित किया जाता है।

दादरसी। समस्त तनकीआत का निर्णय हो चुका है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 05/01/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 12:39:41 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 289/2015

अनवान : –

1. महावीर (फौत)

   1/1 सुन्दरदेवी पत्नी महावीर जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।

   1/2 सुमन
   1/3 पुष्पा
   1/4 विनोद कुमार
   1/5 संदीप कुमार
   } पि0 महावीर जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।

2. किशोरीलाल पुत्र पुर्णराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. प्रेम कुमार 2 जगदीश 3 मदनलाल 4 ओम प्रकाश 5 राजाराम पि0 कुम्भाराम जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर।
6. मोमनराम 7. नत्थुराम पि0 पनाराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 289/2015 सन 2025 निर्णय दिनांक 05/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री मदन मोहन जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 12:59:41 IST
Reason: SelfAttested